न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–23/2016/भीलवाड़ा (2016/00077)

श्री भंवर लाल पुत्र बरदा कुमावत निवासी सुन्दरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती नानी पुत्री बरदा पत्नी छीतर कुमावत निवासी सुन्दरपुरा हाल बोरडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती चांदी पुत्री बरदा पत्नी गोवर्धन कुमावत निवासी सुन्दरपुरा हाल कारांई कला तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती मूली पुत्री बरदा पत्नी रामचन्द्र कुमावत निवासी सुन्दरपुरा हाल खैराबाद तहसील हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती कमला पुत्री बरदा पत्नि बद्रीलाल कुमावत निवासी सुन्दरपुरा हाल कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती उगमी पुत्री बरदा पत्नी भंवर कुमावत निवासी सुन्दरपुरा हाल गुरंला का खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमती मांगी पुत्री बरदा पत्नी श्रीरंगलाल कुमावत निवासी सुन्दरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. श्री किशोर पिता कजोड कुमावत
8. श्री सोहन पिता कजोड
9. श्री भैरू पिता कजोड
10. श्री अमरचंद पिता उदा
11. श्री लक्षमण पिता उदा
    समस्त कुमावत निवासी सुन्दरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. ग्राम पंचायत कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. उप पंजीयक कार्यालय भीलावाड़ा जरिये पंजीयक अधिकारी भीलवाड़ा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 05.12.2014 अंतर्गत अपील संख्या 01/2014

उपस्थितः–

1. श्री आर.एस. राणावत, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं0 1 से 13 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 07.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकरी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2015 (संक्षेप में

अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 ने एक अपील विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट के उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 279 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आरजीयात खसरा संख्या 75/, 147/1, 151/2, 153, 155, 167/3, 169, 172/2, 702/75 कुल किता 10 कुल करबा 11–04–00 स्वंय बरदा की खातेदारी मे एव खसरा संख्या 149/2, 150, 170/4, 649/170 कुला किता 4 रकबा 1–19–00 बीघा सहखातेदारी मे अंकित है जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1–6 के पिता बरदा की पुश्तैनी खातेदारी आराजियात है उक्त बरदा जी के फौत होने पर उनका विरासती नामान्तरकरण अकेले अपीलान्ट भंवरलाल के नाम दर्ज हो गया जबकि बिरदा जी के भंवरलाल के अलावा भी रेस्पोडेन्ट 1–6 विधिक वारिसान थी जिसके नाम विरासती नामान्तरकरण से पंचायत द्वारा कानून प्रावधानो का उल्लघन कर हटा दिया गया श्री बरदा जी की विरासत का नामान्तरकरण मात्र भंवरलाल पुत्र श्री बरदा के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि विवादित आराजियात मे बरदा जी की पुत्रियां भी बराबर हिस्से की अधिकारिणी है।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक बावजूद सूचना होने के उपरांत अनुपस्थिति। प्रकरण में एक तरफ बहस सुनी गई ।

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलान्ट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि दिनांक 22.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1–5 मौके पर आये और कहा कि भविष्य में इस फसल के बाद भूमि पर काश्त मत करना क्योंकि उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज नही रही है अन्यथा जान माल की भारी क्षति कारित करेगी जिस पर दिनांक 24.01. 2016 को ही प्रार्थी तहसील कार्यालय गया और उसे उक्त निर्णय दिनांक 05.12.2014 की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 25.01.2016 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.01.2016 को नकल प्राप्त हुई और प्रकरण से सम्बन्धित अन्य नकले प्राप्त कर तत्पश्चात अभिभाषक से राय ली जिन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष अजमेर अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह दी जिस पर प्रार्थी आवश्यक खर्चे का बंदोबस्त कर दिनांक 31.01.2016 को अजमेर जाकर अभिभाषक से मिला जिन्होंने उसी दिन अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अन्दर मयाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण एकपक्षीय आदेश है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी और अपील पेश करने मे लगा समय सदभाविक देरी है जिसे क्षमा किये जाने हेतु निवेदन किया।

4- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पुश्तैनी आराजीयात अंकित कर विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी चूंकि पुश्तैनी आराजीयात में पुत्र का जन्म के साथ ही पिता के साथ सम्पति में बराबर हिस्सा निहित हो जाता है तथा विरासती नामान्तरकरण सन् 1998 मे ही अपीलार्थी के पक्ष मे पारित हो चुका है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 द्वारा अपीलान्ट के साथ बराबर हिस्सा निहित होना अपील मे गलत अंकित किया गया था। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश अन्तर्गत द्वितीय अपील पारित किया है।

5- अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि विगत 16 वर्षो में वादग्रस्त आराजीयात न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 के नाम दर्ज रही एवं न ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा एवं न ही उनके द्वारा राज्य सरकार को कभी लगान अदा किया गया। जिससे विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 के काश्तकारी स्वत्व कभी भी उत्पन्न नहीं हुए एवं समस्त स्वत्वों का अवसान हो चुका है जो नामान्तरकरण कार्यवाही के तहत उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि विद्वान राजस्व न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 द्वारा नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत करना चाहिए उसी के तहत उन्हें काश्तकारी स्वत्व प्राप्त होना संभव है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1–6 को अदृश्य रूप से खातेदारी उद्घोषित करना जैसा आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा कतई त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया गया है।

6- अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि पत्रावली में अंकित पेशी दिनांक 01.01.2013 को प्रकरण को क्षेत्राधिकार बाहर मानकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत दिनांक 08. 05.2013 की पेशी नियत की गई लेकिन नियत दिनांक 08.05.2013 को पत्रावली न्यायालय मे नही पहुची और तत्पश्चात दिनांक 13.01.2014 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे स्थानान्तरित हुई और प्रकरण दर्ज कर नये नम्बर 1/2014 अंकित कर पुनः नये सिरे से नोटिस जारी कर दिये जो कभी भी वर्तमान अपीलान्ट को तामिल नहीं हुए और दिनांक 05.12.2014 को प्रकरण मे अपीलान्ट की बहस सुने बगैर ही एकपक्षीय रूप से सुन कर निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2014 मे अपील को स्वीकार रिमांड किये जाने के कोई स्पष्ट आधार अंकित किये बगैर ही आदेश पारित कर दिया जो कि स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अपीलान्टस विवादित भूमि को 16 वर्षो से काबिज होकर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 विवादित आराजीयात के संबंध में अपना कोई हक–अधिकार मानते भी है तो उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1–5 ने मात्र नामान्तरकरण संख्या 279 की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलान्टस की खातेदारी निरस्त करवा दी। जो काबिल निरस्त योग्य हैं ।

7- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा अध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों A-2008(1)RRT 1081,B-2019(1)RRD(1)392 की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8- हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपीक्षय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का मनन व अवलोकन किया ।

9- सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि का निस्तारण करना उचित समझते है । धारा 5 के प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर की उचित न्याय व एकतरफा बहस कार्यवाही अनुसार निर्णय के कारण यह अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है हम अपीलांट का यह तर्क उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होता हैं । मियाद के बिन्दु पर किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिए हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपील में हुए विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10- प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत का जो नामान्तरण वर्ष 1998 मे पारित किया गया था को बिना मियाद के बिन्दु तय किये एंव लम्बी अवधि पश्चात् निर्णय अपास्त कर दिया जो उचित नहीं है । इस तर्क की पुष्टि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं । अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि जब तक मियाद के बिन्दु पर उचित आदेश पारित नहीं हो तब तक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता अतः अधीनस्थ न्यायालय ने त्रृटिपूर्वक निर्णय पारित किया है उसे अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे ।

11- हमने अपीलांट अभिभाषक के तर्क एंव न्यायिक दृष्टांतों का सुक्ष्मता से मनन किया यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय नहीं किया है । किन्तु माननीय न्यायालयों ने कई न्यायिक विवादों में यह भी प्रतिपादित किया है कि केवल मियाद के बिन्दु पर वाद या अपील खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा बल्कि प्रकरण की मेरिट पर भी विचार किया जाना चाहिये यथा माननीय उच्च न्यायालय ने यूआईटी बनाम पूनमचन्द (SB CIVIL SECOND APPEAL NO. 40 of 1996) RRP=1998 पृष्ठ 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है " Dismissal of appeal b y lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case- Legality of-Held, now it must be taken as well settled principle of law that before rejecting application u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as sa condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits"

चूंकि हस्तगत प्रकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट मृतक बरदा के पुत्र –पुत्रियॉ है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है । अतः केवल इस बिन्दु पर कि प्रकरण विलम्ब से पेश हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के बिन्दु को निर्णित नहीं किया है, के आधार पर किसी व्यक्ति के हक–अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा । अतः हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का दखल उचित नहीं मानते क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तहसीलदार भीलवाडा को प्रकरण की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया है जिसमें अपीलार्थी व रेस्पोडेंन्ट दोनों को अपना पक्ष पुनः रखने व सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्राप्त होगा ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 23/2016 (2016/00077) बउनवानी भंवरलाल पुत्र बरदा बनाम श्रीमती नानी पुत्री बरदा व अन्य को खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 01/2014 बउनवान श्रीमती नानी पुत्री बरदा व अन्य बनाम भंवरलाल पिता बरदा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2014 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.23 12:59:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: